खण्ड—१ संख्या—१३

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग–१—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, तिथि १२ जुलाई, १९७७

विषय-सूची

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : १ एवं २	....	१-१०
तारांकित प्रश्नोत्तर : १२, १३, १५, १९, २९, ३५, ३७; ५८	....	१०-२७
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)—	....	२८-३३
दैनिक निबंध	....	३५

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

(१) क्या यह बात सही है कि सब-डिपुटी एवं डिपुटी कलक्टर के पदों के एकीकरण के बाद ३५ प्रतिशत प्रवर कोटि के पद पर प्रोन्नत करने का प्रावधान है;

(२) क्या यह बात सही है कि सचिवालय स्तर के निम्नवर्गीय सहायक एवं उच्चवर्गीय सहायकों के एकीकरण कर ३० प्रतिशत प्रवर कोटि के पद पर प्रोन्नत करने का प्रावधान है।

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार खंड (१) के प्रवर कोटि के प्रतिशत के अनुसार खंड (२) में वर्णित प्रवर कोटि के पदों पर प्रोन्नत्ति भी ३५ प्रतिशत क्यों नहीं देना चाहती है, इस दो माप-दंड का क्या औचित्य है ?

श्री कर्पूरी ठाकुर—(१) सब डिपुटी कलक्टर एवं डिपुटी कलक्टर के सम्वर्गों के एकीकरण के फलस्वरूप बिहार असैनिक सेवा संवर्ग के सदस्यों को २० प्रतिशत कनीय प्रवर कोटि, साढ़े बारह प्रतिशत वरीय प्रवर कोटि के पदों के अतिरिक्त ढ़ाई प्रतिशत वरीय जिला दंडाधिकारी के रूप में पद प्रोन्नत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये हैं।

(२) सचिवालय स्तर के निम्नवर्गीय एवं उच्चवर्गीय सहायकों के एकीकरण के पश्चात् २० प्रतिशत प्रवर कोटि के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान है, न कि ३० प्रतिशत।

(३) जिस प्रकार बिहार असैनिक सेवा के एकीकरण संवर्ग को खंड-१ के उत्तर में उल्लिखित प्रोन्नत्ति के सोपान उपलब्ध कराये गये हैं, उसी प्रकार सचिवालय सहायकों के एकीकृत संवर्ग को भी २० प्रतिशत प्रवर कोटि के पदों के अतिरिक्त प्रोन्नति के अन्य सोपान जैसे,-प्रशाखा पदाधिकारी, निबंधक, सहायक सचिव आदि उपलब्ध हैं। चूँकि बिहार असैनिक सेवा संवर्ग की तरह ही सचिवालय सहायक सेवा संवर्ग में भी प्रोन्नत्ति के पर्याप्त सोपान उपलब्ध हैं, अतः उपर्युक्त दोनों संवर्गों के संबंध में प्रोन्नत्ति का अलग-अलग मापदंड रखने का प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापन के रुपये का भुगतान

*१३. श्री राधा नन्दन झा—क्या मंत्री, जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की

---

*सं० सं० की अनुमति से चूँकि प्रश्नकर्त्ता सदस्य सभापति के आसन पर थे, अतः मा० स० श्री कृष्ण प्रताप सिंह के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

कृपा करेंगे कि बिहार राज्य में प्रकाशित होनेवाले इंडियन नेशन, आर्यावर्त्त, सर्चलाइट, प्रदीप, विश्वबन्धु, जन-शक्ति एवं भारतमेल का कितने रुपये सरकार के जिम्मे विज्ञापन के लिये वाकी पड़े हैं तथा इन समाचार पत्रों के विज्ञापन के रुपये का भुगतान सरकार कबतक करना चाहती है ?

श्री कर्पूरी ठाकुर—(१) निम्नलिखित समाचार पत्रों का विज्ञापन शुल्क के मद में उनके नाम के सामने अंकित राशि का भुगतान लम्बित है :—

१. इंडियन नेशन २. आर्यावर्त्त	८,११,२०५/-रु०
३. सर्चलाईट ४. प्रदीप	४,३५,४९८/-रु०
५. जन-शक्ति	४८,७७२/-रु०
६. भारत मेल	६०,४८५/-रु०
७. विश्वबन्धु	६६,००७/-रु०
	१४, २१, ९६७/-रु०

(२) लम्बित देयकों के भुगतान हेतु सम्बन्धित विभागों से राशि सुलभ कराने के लिये आवश्यक कारंवाई की जा रही है। राशि सुलभ होते ही तत्परता से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में भुगतान कर दिया जायेगा।

***श्री कृष्ण प्रताप सिंह**—सभापति महोदय, प्रश्न का उत्तर सदन में बाँट दिया गया है। प्रश्न के खंड २ के उत्तर में दिया हुआ है कि—

"लम्बित देयकों के भुगतान हेतु संबंधित विभागों से राशि सुलभ करने के लिये आवश्यक कारंवाई की जा रही है। राशि सुलभ होते ही तत्परता से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में भुगतान कर दिया जायेगा।" तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका भुगतान कब तक हो जाने की संभावना है, जरा इसकी निश्चित तिथि बताने की कृपा की जाय।

श्री कर्पूरी ठाकुर—आपने तिथि की बात पूछी है; तो पुराना बकाया है इसको ढूँढ़ना पड़ेगा। इसलिये मैं यह कह सकता हूँ कि जितना जल्द हो सकेगा, भुगतान करने का प्रयास सरकार करेगी। यह मैं आश्वासन दे सकता हूँ।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह—एक पूरक और मैं पूछना चाहता हूँ कि यह विभागों से कब लिखा गया है और कब तक माँगा गया है कि आप लंबित विपत्रों की सूचना सरकार को दें।

श्री कपूरी ठाकुर—मैं जल्द से जल्द कहता हूँ, आप विश्वास कीजिये।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह—नहीं, मैं तिथि जानना चाहता हूँ।

श्री कपूरी ठाकुर—मैं तारीख बता देता हूँ। अगले तीन महीने के अंदर कर दूँगा।

श्री कृष्ण कांत सिंह—सभापति महोदय, "इंडियन नेशन" और "आर्यावर्त्त" का बकाया ८, ११, २०५ रु० उत्तर में बतलाया गया है और इसी तरह से और अखबारों के बारे में भी फिगर है, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि कितने दिनों का यह बिल है।

श्री कपूरी ठाकुर—१९७५-७६ का ४ लाख ६ लाख के बीच है और बाकी १६ लाख १९७६-७७ में है। कुल मिलाकर २०-२२ लाख रुपया बकाया होता है। मैं ने जो और छानबीन की है उसी से पता चला है कि २० लाख जरूर ही है और ज्यादा-से-ज्यादा २२ लाख भी हो सकता है।

* **श्री बैद्यनाथ मेहता**—सभापति महोदय, इतनी बड़ी रकम जो विज्ञापन के लिये सरकार को देना है, उसके संबंध में क्या सरकार ने छानबीन करायी है कि जो विज्ञापन छापा गया है, वह विज्ञापन राज्य के हित में था या व्यक्तिगत प्रकाशन और प्रभाव के लिये विज्ञापन किया गया था ?

श्री कपूरी ठाकुर—माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत ही उचित है। मगर अखबारों में तो छप गया, उचित हो या अनुचित हो। सरकार ने अखबारों में छपवा दिया तो अखबार को क्यों दंडित करें, दंडित नहीं कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं सूचना दे सकता हूँ कि यह जायज था या नाजायज था, जरूरी था, या गैर-जरूरी था। लेकिन इसके लिये अखबारों को मैं दंडित नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने तो अखबारों में स्थान दे दिया।

श्री बैद्यनाथ मेहता—चूँकि विज्ञापन छप गया तो सरकार को भुगतान करना ही है, लेकिन यह इर्रेगुलर काम हुआ और यह काम किस अधिकारी के आदेश से हुआ, इसके बारे में सरकार जाँच कराकर उन पर जवाबदेही फिक्स करना चाहती है कि ऐसी गड़बड़ी क्यों हुई ?

श्री कर्पूरी ठाकुर—इसमें अफसरों की गलती नहीं है। दोषी तो पौलिटिकल लोग हैं, अधिकारी को तो आदेश मिला, उन्होंने छपवाया। पौलिटिकल लोगों ने आदेश दिया जिसके कारण उधर चले गये और इस तरह दंड उनको मिल गया। (हंसी)।

श्री कृष्ण कान्त सिंह—सभापति महोदय, मैंने शुरू में ही इसीलिये प्रश्न किया था। अगर मेरे सवाल का जवाव दे देते कि कितने दिनों का वकाया है, १९७४-७५ का है या पहले का है तो फिर पूरक नहीं उठता। मेरी जानकारी में रीभर भैली प्रोजेक्ट के समय का वकाया है और यह राशि इसमें जोड़ दी गयी है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैंने जो बताया वह सही है कि ४ से ६ लाख १९७५-७६ में और १६ लाख १९७६-७७ का और ३३ लाख रुपये का भुगतान गत मार्च बीतते-बीतते हुआ है। अब किस-किस मद में हुआ है, यह तो देखना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है।

श्री रामलखन सिंह यादव—सभापति महोदय, श्री एन० डी० जे० राव की जो रिपोर्ट विज्ञापन और अखवार से संबंधित है, क्या सरकार उसे देख पायी है और यदि देख पाया है तो इस पर कार्रवाई करने के लिये सरकार उत्सुक है, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—सभापति महोदय, जो सूचना विरोधी दल के माननीय सदस्य की ओर से मिली है, उस सूचना के मुताबिक देखूँगा कि इस संबंध में क्या रिपोर्ट है और रिपोर्ट देखने के वाद जो कार्रवाई उचित होगी, मैं करूँगा।

* **श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह**—सभापति महोदय, लगभग ३३ लाख रुपया खर्च हुआ है। इसके औचित्य को देखते हुये सरकार कोई कार्रवाई करने को सोचती है?

श्री कर्पूरी ठाकुर—हमारी सरकार अनुचित नहीं करेगी, लेकिन विना किसी चीज को देखे कैसे कहा जा सकता है कि फलाँ रोज फलाँ विज्ञापन निकला था, वह गलत है? जवतक मैं देख न लूँगा कि क्या-क्या विज्ञापन निकला था तवतक नहीं बता सकता। अनुभव के आधार पर वतला सकता हूँ कि २० सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निकलता था। लेकिन जबतक आप कोई खास सवाल खास दिन के बारे में नहीं पूछेंगे, तवतक जवाव नहीं दूँगा, असमर्थता।

* **श्री केदार पाण्डेय**—सभापति महोदय, सरकार ने अपने लिखित उत्तर में १४, २१, ९६७ रु० के बारे में कहा है और पूरक प्रश्न के उत्तर में २०,२२ लाख

बकाया के बारे में कहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि लिखित उत्तर सही है या माननीय मुख्य मंत्री पूरक प्रश्न के उत्तर में जो राशि बतला रहे हैं, वह सही है। टोटल राशि क्या है ? दोनों जवाब से भ्रम पैदा हो रहा है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—जो लिखित उत्तर में फीगर दिया गया है उसके बाद बारीकी से जब मैंने देखा तो १९७५-७६ में ४ लाख से ६ लाख और १९७६-७७ में १६ लाख का बकाया आया है। इसीलिये मैंने कहा कि कुछ और देखने के बाद २०-२२ लाख रुपये का बकाया है।

वृद्धावस्था पेंशन

15. **श्री राजकुमार पूर्वे**—क्या मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन किस आधार पर दी जा रही है, इसका चयन किस प्रकार होता है, अभी तक कितने लोगों को कितने जिले में यह पेंशन दी जा रही है, बाकी लोगों और जिलों में कबतक यह काम पूरा हो जायेगा तथा राज्य में कुल कितने लोगों को यह पेंशन मिलेगा ?

श्री कर्पूरी ठाकुर—सभापति महोदय, बिहार राज्य वृद्धावस्था पेनशन नियमावली, १९७४ की एक प्रति मैं सदन की मेज पर सदन की जानकारी के लिये रख देता हूँ।

***श्री राजो सिंह**—इसको बंटवा क्यों नहीं दिया ?

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्षमा कीजियेगा। आगे से कोशिश की जायगी। अब से मुद्रित प्रतियां काफी होंगी तो एक-एक प्रति हरेक सदस्यों को बंटवा दूंगा।

सभापति महोदय, १ जुलाई, १९७६ से रांची, पलामू, हजारीबाग, गिरीडीह, सिंहभूम, धनबाद तथा संथाल परगना जिलों में यह योजना लागू की गयी है जिससे लगभग ३ हजार असहाय वृद्ध व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है। राज्य के अन्य भागों में इस योजना को लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इससे लगभग १२ हजार से अधिक असहाय वृद्ध व्यक्तियों के लाभान्वित होने का अनुमान लगाया गया है। सभापति महोदय, मुझको लगता है कि इस काम में बहुत ज्यादा विलम्ब हुआ है। मुझे याद है, १९७१ में जब संविद् सरकार थी, तो बाजाप्ता मंत्रिपरिषद् से वृद्धों को